

आपराधिक संशोधन अधिनियम, 2005

धारा-153क धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना-

1. जो कोई-

क. बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक मूलवंशीय या भाषाई या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, अथवा

ख. कोई ऐसा कार्य करेगा, जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और जो लोक प्रशान्ति में विघ्न डालता है या जिससे उसमें विघ्न पड़ना सम्भाव्य हो, अथवा

ग. कोई ऐसा अभ्यास, आंदोलन, कवायद् या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे या यह सम्भाव्य जानते हुए संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे अथवा ऐसे क्रियाकलाप में इस आशय से भाग लेगा कि किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए या यह संभाव्य जानते हुए भाग लेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे और ऐसे क्रियाकलाप से ऐसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच, चाहे किसी भी कारण से, भय या संत्रास या असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होनी सम्भाव्य है,

वह कारवास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

2. पूजा के स्थान आदि में किया गया अपराध- जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, करेगा, वह कारवास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा-153कक किसी जूलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना

जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 144क के अधीन जारी की गई किसी लोक सूचना या किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में किसी जूलूस में जानबूझकर आयुध ले जाता है या सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित जानबूझकर संचालन या आयोजन करता है या उसमें भाग लेता है तो वह कारवास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण

“ आयुध से अपराध या सुरक्षा के लिए हथियार के रूप में डिजाईन की गई या अपनाई गई, किसी भी प्रकार की कोई वस्तु अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अग्नि शस्त्र, नुकीली धार वाले हथियार, लाठी डंडा और छड़ी भी ह ।)

धारा-153ख राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल पभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान

1. जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा-

क. ऐसा कोई लांछन लगाएगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्ति इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते या भारत की प्रभुता और अखण्डता की मर्यादा नहीं बनाए रख सकते, अथवा

ख. यह प्राख्यान करेगा, परामर्श देगा, सलाह देगा, प्रचार करेगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण से वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं। भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार न दिए जाए या उन्हें उनसे वंचित किया जाए, अथवा

ग. किसी वर्ग के व्यक्तियों की बाध्यता के सम्बन्ध में इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, कोई प्राख्यान करेगा, परामर्श देगा, अभिवाकू करेगा या अपील करेगा अथवा प्रकाशित करेगा और ऐसे प्राख्यान, परामर्श, अभिवाकू या अपील से ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के बीच असामंजस्य अथवा शत्रुता या वैमनस्य की भावनाएं उत्पन्न होती हैं या उत्पन्न होनी सम्भाव्य हैं।

वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

2. जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी उपासना स्थल में या धार्मिक उपासना अथवा धार्मिक कर्म करने में लगे हुए किसी जमाव में करेगा, वह कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध, संशोधन अधिनियम 2013, भारतीय दण्ड संहिता

धारा-100 शरीर की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है

शरीर की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, पूर्ववर्ती धारा में वर्णित निबन्धनों के अधीन रहते हुये हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या अन्य कोई अपहानि करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण प्रयोग का ऐसा अवसर आता है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार का है ।

पहला -- ऐसा हमला जिसमें युक्तियुक्त तौर पर आशंका हो की इसका परिणाम मृत्यु होगा

दूसरा -- युक्ति युक्त आशंका हो कि इसका परिणाम घोर उपहति होगा

तीसरा -- बलात्कार के आशय से किया गया हमला

चौथा -- प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा तृप्ति के आशय से किया गया हमला

पाचवा -- व्यपहरण या अपहरण के आशय से किया गया हमला

छठा -- सदोष परिरोध के आशय से किया गया हमला जिसमें युक्तियुक्त आशंका हो वह लोक प्राधिकारियों की सहायता नहीं पा सकता ।

सातवा -- तेजाब डालना/फैंकना, या डालने या फैंकने का प्रयत्न करना जहां यह युक्तियुक्त आशंका हो कि ऐसे कृत्य का परिणाम घोर उपहति होगा ।

धारा-166क लोक सेवक द्वारा अन्वेषण के दौरान कानून द्वारा निर्धारित, हिदायतों की अवज्ञा करना व महिला के विरुद्ध कुछ अपराधों में एफ आई आर लिखने से इन्कार करना

क- जो व्यक्ति लोक सेवक होते हुये जानबूझ कर अन्वेषण के दौरान कानून द्वारा निर्धारित किसी ऐसे दिशा निर्देशों की अवज्ञा करता है जो उसे किसी व्यक्ति को अपराध के अन्वेषण अथवा अन्य मामलों में किसी स्थान विशेष पर बुलाने बारे मना करते हैं,

ख- अन्वेषण प्रक्रिया को नियमित करने वाले किसी अन्य कानूनी दिशा निर्देश की जानबूझ कर उल्लंघन करता है,

ग- सी आर पी सी की धारा 154 अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कारी, जब ऐसी सूचना आई पी सी की धारा 326 क, 326 ख, 354, 354ख, 370, 370क, 376, 376 क, 376ख, 376ग, 376घ, 376ङ् अथवा 509 के तहत दी गई हो, तो अपराध सिद्धि पर उसे 6 मास से 2 साल तक की कैद व साथ में जुर्माना भी हो सकता है ।

संज्ञेय, जमानतीय, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

धारा-166ख सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल व स्थानीय निकाय प्रबन्धकों के लिए सजा जो बलात्कार की शिकार महिला या घायल व्यक्ति का इलाज नहीं करते

कोई भी केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा सचांलित सरकारी, गैर सरकारी, स्थानीय निकाय या व्यक्तिगत अस्पतालों के प्रबन्धक यदि सी आर पी सी की धारा 357ग अनुसार बलात्कार की शिकार महिला अथवा तेजाब आदि से घायल किसी व्यक्ति को निशुल्क प्राथमिक चिकित्सा नहीं देते, इलाज आरम्भ नहीं करते या पुलिस को सूचना नहीं देते तो उन्हें एक साल तक की सजा तथा साथ में जुर्माना भी हो सकता है ।

असंज्ञेय, जमानतीय, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

धारा- 228क कुछ विशेष अपराधों में पीड़ित व्यक्ति की पहचान सार्वजनिक करना

यदि कोई व्यक्ति आई पी सी की धारा 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 376ङ् के तहत बलात्कार शिकार किसी महिला की पहचान या न्यायालय की अनुमति बिना किसी अदालती

कार्यवाही को सार्वजनिक, मुद्रित या प्रकाशित करता है तो उसे 2 साल तक कैद और जुर्माना भी किया जा सकता है ।

संज्ञेय, अजमानतीय, कोई मजिस्ट्रेट

2- उपधारा 1 की कोई बात निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू नहीं यदि ऐसी सूचना का प्रकाशन

क- उक्त पीड़ित महिला की पहचान के लिये थाना प्रबन्धक या अन्वेशण अधिकारी के सदभाव पूर्ण दिये गये लिखित आदेश से या

ख- पीड़ित व्यक्ति की लिखित प्रार्थना पर

ग- पीड़ित के नाबालिग होने पर, या दिमागी परेशानी या मौत हो जाने पर या उसके सगे सम्बन्धियों के लिखित आवेदन पर जो केवल सरकार से मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था/संगठन के अध्यक्ष को लिखित तौर से किया जाये ।

धारा-326ए जानबूझ कर तेजाब इत्यादि फैंक कर किसी व्यक्ति को घोर उपहति पहुंचाना

जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर तेजाब या तेजाब जैसी कोई वस्तु/पदार्थ आदि बदनियत से फैंक/डाल कर उसे स्थायी या अस्थायी तौर पर कुरुप करेगा, अंग हीन करेगा, जलाएगा, नकारा करेगा अथवा घोर उपहति पहुंचाएगा तो वह कम से कम 10 साल आजीवन कारावास तक तथा साथ में जुर्माने की सजा का भी भागी होगा । परन्तु यह जुर्माना इतना अवश्य होगा जो पीड़ित/आहत व्यक्ति के चिकित्सा व्यय का पूरा कर सके । यह और कि इस प्रकार सजा हुये व्यक्ति से वसूल किया गया जुर्माना आहत/पीड़ित को ही दिया जायेगा ।

संज्ञेय, अजमानतीय, सैशन जज

धारा-326ख जानबूझ कर किसी व्यक्ति पर तेजाब फैंकना अथवा फैंकने का प्रयास करना

जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर इस नीयत से तेजाब या तेजाब जैसा कोई पदार्थ फैंकता है, डालता है अथवा डालने/फैंकने का प्रयास इस नीयत से करता है के इस से उक्त व्यक्ति की स्थायी या अस्थायी तौर पर हानि हो, बदसूरत हो, जल जाए, नकारा हो जाए या घोर उपहति पहुंचे तो उसे कम से कम 5 साल से 7 साल तक की सजा और साथ में जुर्माना भी हो सकता है ।

संज्ञेय, अजमानतीय, सैशन द्रायल

स्पष्टीकरण नं0-1

इस धारा तथा धारा 326 के सन्दर्भ में तेजाब से अभिप्राय उन सभी पदार्थों से हैं जिनमें तेजाब मिला हो, धीरे धीरे गलाने वाले हों तथा स्थायी या अस्थायी तौर पर तन की उपहति, जख्म या बदशक्ति करने वाले हों ।

स्पष्टीकरण नं0-2

इस धारा व धारा 326क के सन्दर्भ में तन की स्थायी या आंशिक हानि या बदसूरती आदि के उपचार से अभिप्राय उस मूल स्थिति से है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता ।

धारा- 354 महिला की लज्जा भंग करने के आशय से हमला व आपराधिक बल का प्रयोग करना ।

जो व्यक्ति किसी महिला की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा उसे कम से कम एक साल से 5 साल तक की कैद तथा साथ में जुर्माना भी किया जा सकेगा ।

संज्ञेय, अजमानतीय, कोई भी मजिस्ट्रेट

धारा 354क- यौन उत्पीड़न व यौन उत्पीड़न की सजा

1- जो कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है :-

क- महिला के न चाहने के बावजूद शारीरिक सम्पर्क, स्पष्टतः कामुक हावभाव दिखाते हुये जबरी मित्रता बनाने का प्रयास

ख- यौन प्रस्ताव व प्रार्थना

ग- स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील चित्र आदि दिखाना

घ- कामुक/अश्लील फब्ती व कटाक्ष कसता है, तो वह यौन उत्पीड़न करने का अपराधी समझा जायेगा ।

2- जो व्यक्ति उपधारा 1 के उपर्युक्त क, ख, तथा ग के तहत अपराध करता है उसे 3 साल तक की सजा तथा साथ में जुर्माना भी हो सकता है

3- उपर्युक्त ग के तहत अपराध करने पर एक साल तक की सजा व साथ में जुर्माना भी हो सकेगा ।

संज्ञेय, जमानतीय, कोई मजिस्ट्रेट

धारा-354ख स्त्री को निर्वस्त्र व नग्न करने की नीयत से उस पर हमला, आपराधिक बल का प्रयोग करना व दुष्प्रेरण करना

जो व्यक्ति किसी महिला को वस्त्रहीन/नग्न करने या नग्न होने के लिये विवश करने की नीयत से उस पर हमला व आपराधिक बल का प्रयोग करता है अथवा ऐसा करने को दुष्प्रेरण देता है तो उसे कम से कम 3 साल से 7 साल तक कारावास तथा साथ में जुर्माना भी किया जा सकेगा ।

संज्ञेय, अजमानतीय, कोई मजिस्ट्रेट

धारा 354ग- वायरीजम तथा इसकी सजा यानि व्यक्तिगत कार्य में लीन महिला को जानकारी के बिना फोटो खींचना, उसके व्यक्तिगत/निजि प्रयोग हेतु निर्धारित स्थानों में उसे बदनीयत से छिप कर देखना

जो व्यक्ति किसी महिला को उसके व्यक्तिगत प्रयोग/कार्य के लिये निर्धारित स्थानों में छिप-छिप कर देखता है, उसको मर्जी के बिना उसकी फोटो खींचता है व इस प्रकार खींची गई फोटो को वितरित या सार्वजनिक करता है तो प्रथम दोस्रसिद्धि पर उसे कम से कम 1 से 3 साल की कैद, साथ में जुर्माना हो सकता है । संज्ञेय, जमानतीय, कोई मजिस्ट्रेट दूसरी बार या बार बार अपराध सिद्धि पर कम से कम 3 से 7 साल तक की सजा व साथ में जुर्माना भी हो सकेगा ।

संज्ञेय, अजमानतीय, कोई मजिस्ट्रेट

स्पष्टीकरण नं0-1

इस धारा में व्यक्तिगत प्रयोग/ कार्य से अभिप्राय महिला के व्यक्तिगत प्रयोग हेतु निर्धारित स्थानों स है जैसे स्नानागार, शौचालय, शयनकक्ष व चेजिंग कक्ष इत्यादि जहां उक्त महिला अधोवस्त्रों में हो या रति क्रीड़ा में लीन हो जहां उसके कामुक जननांग, वक्ष स्थल, नितम्ब इत्यादि किसी के द्वारा नहीं देखे जाने चाहिये ।

स्पष्टीकरण नं0-2

जहां कोई महिला अपनी सहमति से फोटो खिचवाती है या कोई और कार्य करवाती है परन्तु किसी तीसरे व्यक्ति को दिखाने या देने बारे सहमति नहीं देती, यदि फिर भी ऐसा फोटो या कार्य किसी को दिखाया जाता है या सार्वजनिक किया जाता है तो यह इस धारा के तहत अपराध होगा ।

धारा-354घ स्टाकिंग का अपराध व इसकी सजा

यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की तरफ से स्पष्टतः कोई भी रुचि न दिखाने के बावजूद फिर भी बार बार उससे सम्पर्क साधता है, साधने का प्रयास करता है, उसका पीछा करता है, उसके द्वारा प्रयोग किये गये इन्टरनेट अथवा ई-मेल अथवा अन्य किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक सचांर को अवैध रूप से देखता है तो कहा जाएगा कि उसने स्टाकिंग का अपराध किया। परन्तु निम्नलिखित स्थितियों में उपरोक्त कार्य अपराध नहीं होंगे यदि:—

क- पीछा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे राज्य सरकार ने अपराधों की रोकथाम,

अंकुश व अन्वेषण आदि के सम्बन्ध में ऐसा कार्य सौंपा हो ।

ख- किसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया व शर्तों के दायरे में रहते हुये जब किसी व्यक्ति का पीछा अथवा निगरानी की जाती है ।

ग- किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जब ऐसा करना तर्क सगंत या न्यायोचित हो ।

3- स्टाकिंग के अपराध के लिये प्रथम दोस्रसिद्धि पर 3 साल तक की सजा तथा साथ में जुर्माना भी हो सकता है ।

संज्ञेय, जमानती, कोई भी मजिस्ट्रेट

पुनः दोस्रसिद्धि पर 5 साल तक की कारावास साथ में जुर्माना भी हो सकता है ।

संज्ञेय, अजमानतीय, कोई भी मजिस्ट्रेट

धारा-370 मानव तस्करी तथा इसकी सजा

1- यह कहा जायेगा कि किसी व्यक्ति ने मानव तस्करी का अपराध किया यदि वह, किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों का शोषण करने के लिये उसे/उन्हें निम्नलिखित किसी भी तरीके से, प्रशिक्षण देता है, परिवहन करता है, आश्रय देता अथवा आदान प्रदान करता है :---

1- धमकी देकर अथवा,

2- बल द्वारा/ बल दुरुपयोग द्वारा अथवा,

3- बहला फुसला कर अथवा,

4- छल या धोखा देकर अथवा,

5- शक्ति के अनुचित प्रयोग द्वारा, अथवा

6- उत्प्रेरणा देकर व किसी लाभ व धन की अदायगी करके उस व्यक्ति की सहमति लेना, जिसका इस प्रकार प्रशिक्षित, परिवहन, आश्रय दिये गये या आदान प्रदान किये गये व्यक्ति पर नियंत्रण हो ।

स्पष्टीकरण नं0-1

शोषण की परिभाषा में किसी व्यक्ति का दैहिक अथवा यौन शोषण, दासत्व या इस प्रकार के अन्य कार्य, बलात नौकर रखना व बलात अंग प्रत्यारोपण इत्यादि भी शामिल हैं ।

स्पष्टीकरण नं0-2

1- मानव तस्करी आपराधिक मामलों में आहत/पीड़ित व्यक्ति की सहमति होना अतात्त्विक है यानि कोई मायने नहीं रखता ।

2- जो मानव तस्करी करेगा उसे कम से कम 7 से 10 साल की कारावास व साथ में जुर्माना भी हो सकता है ।

3- जहां मामला एक से अधिक व्यक्तियों की मानव तस्करी का हो तो कम से कम सजा 10 साल से आजीवन कारावास तक तथा साथ में जुर्माना भी हो सकेगा ।

4- नाबालिग मानव तस्करी मामले में सजा कम से कम 10 साल से उम्र कैद तथा साथ में जुर्माना भी हो सकता है ।

- 5- एक से अधिक नाबालिगों की मानव तस्करी मामलों में कम से कम सजा 14 साल से उपर कैद तथा साथ में जुर्माना भी हो सकता है ।
- 6- नाबालिग मानव तस्करी अपराध एक से अधिक बार करने पर ऐसे प्रत्येक मामले में सजा आजीवन कारावास होगी तथा साथ में जुर्माना भी हो सकता है । इस धारा के तहत आजीवन कारावास से अभिप्राय व्यक्ति के बाकी बचे स्वाभाविक जीवन से है ।
- 7- यदि कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी किसी मानव तस्करी में संलिप्त पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा तथा साथ में जुर्माना भी किया जा सकेगा । इस धारा के तहत आजीवन कारावास से अभिप्राय उसके बाकी बचे स्वाभाविक जीवन से है ।

संज्ञेय, अजमानतीय, सैशन जज

धारा-370क मानव तस्करी हेतु लाये गये नाबालिग का जान बूझ कर यौन शोषण करना ।

यदि कोई व्यक्ति यह जानने के बावजूद कि कथित नाबालिग मानव तस्करी द्वारा लाया गया है, फिर भी उस नाबालिग का किसी भी रीति से यौन शोषण करता है तो उसे कम से कम 5 से 7 साल तक की सजा तथा साथ में जुर्माना भी हो सकेगा ।

संज्ञेय, अजमानतीय, सैशन जज

- 2- यदि कोई व्यक्ति यह जानने के बावजूद कि कथित व्यक्ति मानव तस्करी द्वारा लाया गया है, फिर भी उस व्यक्ति का किसी भी रीति से यौन शोषण करता है तो उसे कम से कम 3 से 5 साल तक की सजा तथा साथ में जुर्माना भी हो सकेगा ।

संज्ञेय, अजमानतीय, सैशन जज

धारा 375- बलात्कार की परिभाषा

यह कहा जायेगा के किसी पुरुष ने बलात्कार किया यदि वह-

क- अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी महिला की योनि में, मुख में, मुत्र मार्ग में या गुदा में प्रविष्ट करता है या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसे करवाता है ।

ख- कोई वस्तु या तन का कोई अन्य अंग किसी भी सीमा तक किसी महिला की योनि, मुत्रमार्ग, या गुदा में प्रविष्ट करता है या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है ।

ग- महिला के तन के किसी भी भाग को चालाकी से इस्तेमाल करता है ताकि योनि, मुत्रमार्ग, गुदा या तन के किसी अन्य भाग में लिंग प्रवेशन में सुविधा हो, या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करवाता है ।

घ- अपना मुख महिला की योनि, मुत्रमार्ग या गुदा पर लगाता है या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है ।

यदि उपरोक्त कार्य निम्नलिखित सात अवस्थाओं में किसी एक में भी आते हों-

- 1- उसकी इच्छा के विरुद्ध
- 2- उसकी सहमति के बिना
- 3- उसकी सहमति से परन्तु जहां ऐसी सहमति उसे या ऐसे व्यक्ति जिस में वह दिलचस्पी रखती है, की मौत या चोट का भय दिखा कर प्राप्त की गई हो ।
- 4- उसकी सहमति से, जहां पुरुष जानता हो कि वह उसका पति नहीं परन्तु उक्त महिला उसे अपना कानूनी पति समझती हो

- 5- उसकी सहमति से, जब ऐसी सहमति देते समय वह दिमागी तौर पर अपरिपक्व हो, नशे में हो, भला बुरा विचार करने में असमर्थ हो चाहे उसने यह नशा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया हो जिसके प्रभाव में वह ऐसी सहमति का परिणाम समझने में असमर्थ हो ।
- 6- उसकी सहमति या बिना सहमति से जब उसकी आयु 18 साल से कम हो ।
- 7- जब वह सहमति देने में अक्षम हो ।

स्पष्टीकरण नं0-1

इस धारा के तहत योनि की व्याख्या में भगोस्ठ भी शामिल है ।

स्पष्टीकरण नं0-2

सहमति से अभिप्राय है, साफ व स्पष्ट हासी भरना जब महिला बोलकर, हाव भाव से या अन्य किसी भी तरह मौखिक या अमौखिक किसी विशेष योन कृत्य के लिये राजी होती है परन्तु यह कहना कि महिला सहमत थी केवल इस आधार पर नहीं समझा जाएगा कि उसने यौन क्रिया का विरोध नहीं किया ।

स्पष्टीकरण नं0-3

चिकित्सीय प्रक्रिया बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता ।

स्पष्टीकरण नं0-4

पति द्वारा खुद की पत्नी से संसर्ग बलात्कार नहीं यदि पत्नी की आयु 15 साल से कम न हो ।

धारा-376 बलात्कार की सजा

- 1- जो पुरुष उपधारा 2 में उल्लिखित स्थितियों के सिवाए किसी अन्य स्थिति में महिला से बलात्कार करता है तो वह कम से कम 7 साल के आजीवन कारावास तक की सजा तथा साथ में जुर्माने का भी भागी होगा ।

संज्ञेय,

अजमानतीय,

सैशन जज

- 2- क- जो कोई बतौर पुलिस अधिकारी बलात्कार अपने तैनाती थाना में या किसी दूसरे थाना परिसर में, या अपनी या अपने अधीनस्थ की अभिरक्षा में रखी महिला से करता है या
- ख- कोई लोकसेवक अपनी खुद की या अपने अधीनस्थ की अभिरक्षा में किसी महिला से या
- ग- केन्द्रिय या राज्य सशरू बल कर्मचारी किसी महिला से जहां वे तैनात हो, या
- घ- जेल स्टाफ, रिमाण्ड होम, या तत्समय प्रवृत्त कानून द्वारा अभिरक्षा हेतु निर्धारित स्थान, नारी या बाल सस्थान/निकेतन आदि में किसी महिला से, या
- ड- अस्पताल प्रबन्धन में तैनात स्टाफ द्वारा अस्पताल प्रांगण में बलात्कार, या
- च- रिश्तेदार, सरकंक, अध्यापक या विश्वास योग्य व्यक्ति द्वारा बलात्कार या
- छ- जातीय या साम्प्रदायिक दण्डों के दौरान बलात्कार, या
- ज- गर्भवती महिला से बलात्कार, या
- झ- 16 साल से कम आयु की महिला से, या
- ञ- ऐसी महिला से जो सहमति देने में असमर्थ हो, या
- ट- महिला से जो उसके नियन्त्रण में हो, या
- ठ- जब महिला दैहिक या मानसिक तौर पर अक्षम हो, या
- ঢ- বলাত্কার করতে সময় মহিলা কো সখ্ত চোট, স্থায়ী তৌর পর অংগ সমাপ্ত, বদসূরত যা মহিলা কে শরীর কো খতরে মেঁ ডালনা, যা
- ঢ়- উস মহিলা সে বার বার বলাত্কার করতা হै, তো উসে কম সে কম 10 সাল সে আজীবন কারাবাস তক কী সজা তথা সাথ মেঁ জুর্মানা ভী হো সকতা হৈ । ইস ধারা কে তহত আজীবন কারাবাস সে অভিপ্রায় বাকী বচে স্বাভাবিক জীবন সে হৈ ।

- संज्ञेय, अजमानतीय, सैशन द्रायल
- स्स्टीकरण - इस उपधारा के तहत
- क- सशस्त्र बलों से अभिप्राय, जल, थल, वायु सेना, तथा केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत तथा तत्समय प्रवृत्त कानून अनुसार गठित अर्ध सैनिक बल या सहायक सैनिक भी हैं ।
- ख- अस्पताल से अभिप्राय है अस्पताल परिसर, या कोई संस्था परिसर है, जहां चिकित्सा/रिकवरी अवधि के दौरान रोगियों को दाखिल या उपचार किया जाता हो ।
- ग- पुलिस अधिकारी से वही अर्थ समझा जाये जैसा कि पुलिस एक्ट सन 1861 में दिया गया है ।
- घ- नारी या बाल संस्था से अभिप्राय है अनाथालय, ठुकराए गए बालकों या नारियों के लिये बनाये आबजरवेशन होम, विधवा आश्रम, या कोई अन्य संस्था चाहे उसे कोई भी नाम दिया जाये, जिसका प्रयोग बालकों या महिलाओं के रख रखाव हेतु किया जाये ।

धारा-376क बलात्कार के कारण महिला की मौत या कौमा में या कौमा जैसी स्थिति में चले जाना ।

जो कोई धारा 376 की उपधारा 1 या 2 में वर्णित किसी भी अवस्था में बलात्कार करता है तथा इस दौरान कोई ऐसा जख्म या उपहति करता है जिसके कारण महिला की मौत हो जाये या कौमा या कौमा जैसी स्थिति में चली जाये तो उसे कम से कम 20 साल की सश्रम कैद जो आजीवन कारावास तक या मौत की सजा भी हो सकती है । इस धारा में आजीवन कारावास से अभिप्राय व्यक्ति के बाकी बचे स्वाभाविक जीवन से है ।

संज्ञेय, अजमानतीय, सैशन जज

धारा-376ख अलग रह रही पत्नी की सहमति के बिना पति द्वारा उससे सम्झोग

यदि कोई पत्नी सेपेरेशन डिक्री की तहत या किसी अन्य रीति अनुसार अपने पति से अलग रहती हो तथा ऐसा पति उसके सहमति के बगैर यदि उससे यौन सम्झोग करेगा तो वह कम से कम 2 से 7 साल तक की सजा तथा साथ में जुमानि का भी भागी हो सकता है ।

नोट- इस धारा के तहत सूचना केवल पीड़ित महिला ही दर्ज करवा सकेगी ।

संज्ञेय, जमानतीय, सैशन जज

स्पष्टीकरण

इस धारा के तहत यौन सम्झोग से तात्पर्य आई पी सी की धारा 375 के उपखण्ड क से घ में उल्लिखित किसी भी कृत्य से है ।

धारा-376ग महिला के वित्तीय मामलों पर नियन्त्रण रखने वाले द्रस्ती व्यक्ति, लोक सेवक, जेल अधीक्षक व अस्पताल आदि के प्रबन्धक द्वारा पद का दुरुपयोग उपयोग करते हुये महिला से यौन सम्झोग जो व्यक्ति बतौर-

क- कोई अधिकारी या वित्तीय मामलों पर नियन्त्रक की हैसियत से

ख- लोक सेवक होते हुये

ग- जेल, रिमाण्ड होम या महिला/ बाल संस्थान का अधीक्षक/प्रबन्धक या तत्समय प्रवृत्त किसी स्थान का दख रेख अधिकारी होने के नाते, या

घ- अस्पताल स्टाफ सदस्य या अधिकारी होने के नाते अपने पद का दुरुपयोग करके अपनी अभिरक्षा या कार्यभार में या परिसर में मौजूद किसी महिला को सम्झोग हेतु उत्प्रेरित या लुभाए तथा इस प्रकार से यौन सम्झोग करे जो बलात्कार की श्रणी में नहीं आता, तो वह कम से कम 5 से 10 साल तक की सजा व साथ में जुमानि का भी पात्र होगा ।

संज्ञेय, अजमानतीय, सैशन जज

धारा-376घ महिला से सामूहिक बलात्कार की सजा

जब किसी महिला से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाता है या सामान्य आशय हेतु किसी के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सामूहिक बलात्कार का दोषी होगा तथा प्रत्येक को कम से कम 20 साल की सजा जो आजीवन कारावास तक की जा सकेगी। इस धारा के तहत आजीवन कारावास से तात्पर्य व्यक्ति के बाकी बचे स्वाभाविक जीवन से है तथा जुर्माने का भी भागी होगा। परन्तु यह जुर्माना आहत व्यक्ति को ही दिया जायेगा तथा इतना होगा जितना उसके उपचार हेतु तर्कसंगत हो।

संज्ञेय, अजमानतीय, सैशन जज

धारा-376ङ बलात्कार दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा पुनः बलात्कार

जो व्यक्ति बलात्कार मामलों में आई पी सो की धारा 376, 376क या 376घ के तहत प्रथम दोषसिद्ध होने के बावजूद यदि पुनः उक्त धाराओं के तहत बलात्कार दोषसिद्ध होता है, तो वह मृत्यु दण्ड अथवा आजीवनकारावास की सजा का पात्र होगा जिससे तात्पर्य उसके बाकी बचे स्वाभाविक जीवन से होगा।

संज्ञेय, अजमानतीय, सैशन

धारा 509 शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिये किया जाये

जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, या कोई वस्तु दिखायेगा, इस आशय से कि उस स्त्री द्वारा ऐसा शब्द व ध्वनि सुनी जाये या ऐसा अग विक्षेप या वस्तु देखी जाये तो अथवा ऐसी स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा, वह सादा कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक तथा साथ में जुर्माने का भी भागी हो सकता है।

संज्ञेय, जमानतीय, कोई मजिस्ट्रेट

आपराधिक संशोधन अधिनियम, 2018

धारा-166क लोक सवक द्वारा अन्वेषण के दौरान कानून द्वारा निर्धारित, हिदायतों की अवज्ञा करना व महिला के विरुद्ध कुछ अपराधों में एफ आई आर लिखने से इन्कार करना

क- जो व्यक्ति लोक सेवक होते हुये जानबूझ कर अन्वेषण के दौरान कानून द्वारा निर्धारित किसी ऐसे दिशा निर्देशों की अवज्ञा करता है जो उसे किसी व्यक्ति को अपराध के अन्वेषण अथवा अन्य मामलों में किसी स्थान विशेष पर बुलाने बारे मना करते हैं,

ख- अन्वेषण प्रक्रिया को नियमित करने वाले किसी अन्य कानूनी दिशा निर्देश की जानबूझ कर उल्लंघन करता है,

ग- सी आर पी सी की धारा 154 अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कारी, जब ऐसो सूचना आई पी सी की धारा 326क, 326ख, 354, 354ख, 370, 370क, 376, 376क, 376ख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख 376ड़ अथवा 509 के तहत दी गई हो, तो अपराध सिद्धि पर उसे 6 मास से 2 साल तक की कैद व साथ में जुर्माना भी हो सकता है ।

धारा-228क कुछ विशेष मामलों में पीड़ित व्यक्ति की पहचान सार्वजनिक न करना

1. जो कोई व्यक्ति की (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् पीड़ित व्यक्ति कहा गया है) पहचान हो सकती है, जिसके विरुद्ध धारा 376, 376क, 376ख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख व 376ड़ के अधीन किसी अपराध का किया जाना अभिकथित है या किया गया पाया है, मुद्रित या प्रकाशित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

2. उपधारा (1) की किसी भी बात का विस्तार किसी नाम अथवा अन्य बात के मुद्रण या प्रकाशन पर, यदि उससे पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो सकती है, तब नहीं होता है, जब ऐसा मुद्रण या प्रकाशन-

क. पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के या ऐसे अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के, जो ऐसे अन्वेषण के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करता है, द्वारा या उसके लिखित आदेश के अधीन किया जाता है; या

ख. पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है; या

ग. जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है अथवा वह अवयस्क या विकृतचित्त है वहां, पीड़ित व्यक्ति के निकट सम्बन्धी द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है;

परन्तु निकट सम्बन्धी द्वारा कोई ऐसा प्राधिकार किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव से, चाहे उसका जो भी नाम हो, भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ‘मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन’ से केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त कोई समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है ।

3. जो कोई उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध की बाबत किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई बात, उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण- किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में अपराध की कोटि में नहीं आता है ।

धारा-376 बलात्कार की सजा

1- जो पुरुष उपधारा 2 में उल्लिखित स्थितियों के सिवाए किसी अन्य स्थिति में महिला से बलात्कार करता है तो वह कम से कम 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा तथा साथ में जुर्माने का भी भागी होगा ।

2- क- जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए-

- I. उस पुलिस थाने की जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी तैनात है सीमाओं के भीतर या थाना में या
- II. किसी थाने के परिसर में या
- III. ऐसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में,

किसी स्त्री से बलात्संग करेगा या:

- ख- कोई लोकसेवक अपनी खुद की या अपने अधीनस्थ की अभिरक्षा में किसी महिला से या
ग- केन्द्रिय या राज्य सशस्त्र बल कर्मचारी किसी महिला से जहां वे तैनात हो, या
घ- जेल स्टाफ, रिमाण्ड होम, या तत्समय प्रवृत्त कानून द्वारा अभिरक्षा हेतु निर्धारित स्थान, नारी या बाल संस्थान/निकेतन आदि में किसी महिला से, या
ङ- अस्पताल प्रबन्धन में तैनात स्टाफ द्वारा अस्पताल प्रागंण में बलात्कार, या
च- रिश्तेदार, सरकारी, अध्यापक या विश्वास योग्य व्यक्ति द्वारा बलात्कार या
छ- जातीय या साम्प्रदायिक दर्गों के दौरान बलात्कार, या
ज- गर्भवती महिला से बलात्कार, या
झ- यह खण्ड 2018 में निरस्त कर दिया गया है
ञ- ऐसी महिला से जा सहमति देने में असमर्थ हो, या
ट- महिला से जो उसके नियन्त्रण में हो, या
ठ- जब महिला शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम हो, या
ঠ- बलात्कार करते समय महिला को सख्त चोट, स्थायी तौर पर अंग समाप्त, बदसूरत या महिला के शरीर को खतरे में डालना, या
ঢ- उस महिला से बार बार बलात्कार करता है,
তা उसे कम से कम 10 साल के आजीवन कारावास तक की सजा तथा साथ में जुर्माना भी हो सकता है । इस धारा के तहत आजीवन कारावास से अभिप्राय बाकी बचे स्वाभाविक जीवन से है ।

स्पस्तीकरण - इस उपधारा के तहत

ক- सशस्त्र बलों से अभिप्राय, जल, थल, वायु सेना, तथा केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत तथा तत्समय प्रवृत्त कानून अनुसार गठित अर्ध सैनिक बल या सहायक सैनिक भी हैं ।

খ- अस्पताल से अभिप्राय है अस्पताल परिसर, या कोई संस्था परिसर है, जहां चिकित्सा/रिकवरी अवधि के दौरान रोगियों को दाखिल या उपचार किया जाता हो ।

গ- पुलिस अधिकारी से वही अर्थ समझा जाये जैसा कि पुलिस एक्ट सन 1861 में दिया गया है ।

ঘ- नारी या बाल संस्थान से अभिप्राय है अनाथालय, ठुकराए गए बालकों या नारियों के लिये बनाये आबजरवेशन होम, विधवा आश्रम, या कोई अन्य संस्थान चाहे उसे कोई भी नाम दिया जाये, जिसका प्रयोग बालकों या महिलाओं के रख रखाव हेतु किया जाये ।

3. जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा:

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा।

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन, अधिरोपित कोई भी जुर्माना पीड़िता को संदर्भ किया जाएगा।

धारा-376ख बारह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग के लिए दंड

जो कोई 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग करेगा, वह ऐसी अवधि कठोर कारावास स, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक ही हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल अभिप्रेत होगा और जुर्माने से अथवा मृत्यु से दंडित किया जाएगा।

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा।

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन, अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा।

धारा-376घक सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दंड

जहां सोलह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है, वह आजीवन कारावास से जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा।

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन, अधिरोपित कोई भी जुर्माना पीड़िता को संदर्भ किया जाएगा।

धारा-376घख बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दंड

जहां बारह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह आजीवन कारावास से जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माने से या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा।

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा।

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन, अधिरोपित कोई भी जुर्माना पीड़िता को संदर्भ किया जाएगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, संशोधन 2013

धारा 26} न्यायालय जिनके द्वारा अपराधों का विचारण किया जा सकेगा ।

इस संहिता के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये,

कः-- आई पी सी के अधीन किसी अपराध का विचारण :--

1} उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, या

2} सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, या

3} किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूचि में दर्शाया गया है ।

परन्तु भारतीय दण्ड संहिता, संख्या 45, सन् 1860 की धारा 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ तथा 376ड़ का विचारण जहां तक हो सके ऐसे न्यायालय द्वारा किया जायेगा जिसमें महिला पीठासीन हो ।

ख} किसी अन्य विधि के किसी अपराध का विचारण, जब उस विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है तो उस न्यायालय द्वारा किया जायेगा तथा जब कोई न्यायालय उल्लिखित नहीं है तो उच्च न्यायालय द्वारा या किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा विचारणीय होना प्रथम अनुसूचि में दर्शाया गया है ।

धारा 54 क} गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त

यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जांता है और उसकी शिनाख्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिये आवश्यक समझी जाती है तो वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर, गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझे, किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा शिनाख्त करने का आदेश दे सकता है ।

परन्तु यह कि, गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति यदि शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य है तो शिनाख्त प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट की देख रेख में की जायेगी जो यह सुनिश्चित करेगा कि यह प्रक्रिया उस रीति से हो जो जो ऐसे व्यक्ति के लिये सुविधा जनक हो । परन्तु यदि शिनाख्त करने वाला व्यक्ति शारीरिक या मानसिक तौर पर अयोग्य है तो शिनाख्त प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी करवाई जायेगी ।

धारा 154} संज्ञेय मामलों में इतिला

1} संज्ञेय अपराध के किये जाने से सम्बन्धित प्रत्येक इतिला, यदि पुलिस थाना के भार साधक अधिकारी को मौखिक तौर पर दी गई है तो खद उसके द्वारा या उसके निर्देश अनुसार लिख ली जायेगी

और इतिला देने वाले को पढ़ कर सुनाई जायेगी तथा प्रत्येक ऐसी इतिला पर चाहे यह लिखित तौर पर दी गई हो या इस प्रकार लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे जो उसे दें और उसका सार उस पुस्तक में उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जायेगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त करे, प्रविष्ट किया जायेगा ।

परन्तु यदि सूचना किसी ऐसी महिला द्वारा दी जाती है जिसके साथ आई पी सी की धारा 326क, 326ख, 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 376ड या 509 के तहत कथित तौर पर कोई अपराध हुआ हो या प्रयास किया गया हो तो सूचना का सार केवल महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा ही लिखा जायेगा ।

क} परन्तु यह और कि यदि कोई व्यक्ति जिसके साथ आई पी सी की धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 376ड या 509 के तहत कथित तौर पर कोई अपराध हुआ हो या प्रयास किया गया हो तथा ऐसा व्यक्ति यदि शारीरिक या मानसिक तौर पर स्थायी या मानसिक रूप से अयोग्य हो तो पुलिस अधिकारी सूचना का सार पीड़ित व्यक्ति के घर पर या उसके पसन्द के स्थान पर ही दर्ज करेगा और जैसे भी हालात हो किसी व्याख्याकर्ता या पीड़ित के विशेष सलाहकार की मौजूदगी में करेगा ।

ख} इस प्रकार दर्ज की गई सूचना की वीडियो ग्राफी की जायेगी ।

ग} जितनी जल्दी हो सके पुलिस अधिकारी उपखण्ड के तहत इस प्रकार लिखी गई सूचना को इस सहिता की धारा 164 की उपधारा 5क के उपखण्ड के तहत किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करवायेगा ।

उपधारा 2 व 3:-- कोई बदलाव नहीं

धारा 160} साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति

1} कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय अनुसार अन्वेषण कर रहा हो, अपने थाना या किसी पास के थाने की सीमा के अन्दर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी दी गई इतिला से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितयों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता ह । और वह व्यक्ति अपेक्षा अनुसार हाजिर होगा ।

परन्तु किसी पुरुष से जो 15 साल से कम या 65 साल से अधिक आयु का है, या किसी महिला से, या शारीरिक या मानसिक तौर पर अयोग्य व्यक्ति से ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरुष, स्त्री या अयोग्य व्यक्ति निवास करती/करता है, भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

2} अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपधारा 1 के अधीन हाजिर होने के लिये प्रत्येक व्यक्ति के उचित व्ययों का पुलिस अधिकारी द्वारा सदाय कराने के लिये राज्य सरकार इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा उपबंध कर सकती है ।

धारा 161} पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा

1} कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय अनुसार अन्वेषण कर रहा है, या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी, जो इस पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित निर्धारित करे, मामले के तथ्यों व परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है।

2} ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या दण्ड या सम्पहरण की आशंका में डालन की है, ऐसे मामलों से सबंधित उन सब प्रश्नों का उत्तर सही-2 देने के लिये बाध्य होगा, जो ऐसा अधिकारी उस से पूछता है।

3} पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किये गये किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक और सही अभिलेख बनाएगा, जिसका कथन वह अभिलिखित करता है।

परन्तु इस उपधारा के अधीन किया गया कथन आडियो वीडियो इलैक्ट्रोनिक साधन द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि ऐसी स्त्री जिसके साथ कथित तौर पर आई पी सी की धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 376ड अथवा 509 के तहत कोई अपराध हुआ है या अपराध का प्रयास किया गया हो, के कथन किसी महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी के द्वारा ही रिकार्ड किये जायेंगे।

धारा 164} उपधारा 5क के बाद निम्नलिखित उपधाराएं जोड़ी जायेंगी।

क} आई पी सी की धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, धारा 376 की उपधारा 1 व 2, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 376ड तथा 509 के तहत अपराध घटित होने बारे ज्यों ही कोई इतिला पुलिस को दी जाती है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट जिस व्यक्ति के साथ ऐसा कोई अपराध हुआ/किया गया हो, के कथन उपधारा 5 में दर्शाई गई रीति अनुसार दर्ज करेगा।

परन्तु यह कि यदि इस प्रकार व्यान देने वाला व्यक्ति यदि स्थायी या अस्थायी रूप से शारीरिक या मानसिक तौर पर अयोग्य है तो मजिस्ट्रेट उसके व्यान लिखते समय व्याख्याकर्ता या विशेष सलाहकार की मदद लेगा।

यह और कि यदि इस प्रकार व्यान देने वाला व्यक्ति यदि स्थायी या अस्थायी रूप से शारीरिक या मानसिक तौर पर अयोग्य है, तो व्याख्याकर्ता या विशेष सलाहकार की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा इस प्रकार रिकार्ड करवाये गये कथनों की वीडियोग्राफी बनवाई जायेगी।

ख} उपखण्ड के अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से शारीरिक या मानसिक तौर पर अयोग्य किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार रिकार्ड करवाये गये कथनों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 137 के तहत बतौर मुख्य परीक्षा के रूप में माना जायेगा, जिन्हें ट्रायल के दौरान रिकार्ड करना जरुरी नहीं।

होगा तथा इस प्रकार रिकार्ड करवाये गये कथनों के आधार पर ही कथनकर्ता व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा अर्थात् क्रास एग्जामीनेशन की जा सकेगी ।

धारा 173} अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट

ज] जहां अन्वेषण आई पी सी की धारा 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ या 376ड के अधीन किसी अपराध के सम्बंध में है, क्या स्त्री की चिकित्सा रिपोर्ट संलग्न की गई है ।

वह अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्यवाही की संसूचना, उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने अपराध किये जाने के सम्बन्ध में सर्वप्रथम इतिला दी, उस रीति से देगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाये ।

धारा 197} न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन

उपधारा 1 के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा गया है ।

स्पष्टीकरण} सन्देह निवारण हेतु यह घोषित किया जाता है कि यदि कोई लोक सेवक जो कथित तौर पर आई पी सी की धारा 166क, 166ख, 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, 370, 375, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ या 509 में दोषी हो तो उसे अभियोजित करने के लिये किसी से कोई मन्जूरी लने की अवश्यकता नहीं ।

धारा 198ख} ऐसे मामलों का विचारण जहां पति अपने से अलग रह रह पत्नी की सहमति बिना उससे यौन संसर्ग करता है ।

कोई न्यायालय आई पी सी की धारा 376ख के तहत व्यक्तियों के वैवाहिक सम्बन्धों बारे दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक प्रथम दृष्ट्या ऐसा परिवाद स्वयं पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ नहीं किया जाता ।

धारा 273} साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना ।

अभिव्यक्त रूप से जेसा उपबंधित है उसके सिवाय, विचारण या अन्य कार्यवाहियों के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में अथवा जब उसे व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्त कर दिया गया हो, उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जायेगा ।

परन्तु जहां 18 साल से कम आयु की कोई स्त्री जिसके साथ कथित तौर पर बलात्कार या अन्य यौन अपराध हुआ हो, के कथन रिकार्ड किये जाने हो तो अभियुक्त व्यक्ति के प्रति परीक्षा अधिकार को सुनिश्चित करते समय न्यायालय यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसी महिला का अभियुक्त से आमना सामना न हो ।

स्पष्टीकरण} इस धारा में अभियुक्त के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसके विरुद्ध अध्याय 8 के अधीन कोई कार्यवाही इस संहिता के अधीन आरम्भ की जा चुकी हो ।

धारा 309} कार्यवाही को मुल्तवी या स्थगित करने की शक्ति ।

1} प्रत्येक जांच अथवा विचारण के दौरान अभियोग की कार्यवाही दिन प्रति दिन तब तक जारी रखी जायेगी जब तक हाजिर सभी साक्षियों के कथन रिकार्ड नहीं कर लिये जाते और जब तक अदालत सुनवाई हेतु कोई अन्य दिन निर्धारित नहीं करती। और यदि न्यायलय ऐसा करता है तो इसके कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

परन्तु आई पी सी की धारा 376, 376क, 376ग तथा 376घ के अधीन दण्डनीय मामलों में जहां तक हो सके, ऐसी जांच या विचारण आरोप पत्र फाईल होने की तारीख से 2 मास के अन्दर-2 पूरी की जायेगी।

धारा 327 न्यायालयों का खुला होना ।

2} उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ तथा 376ड़ के अधीन बलात्कार या किसी अपराध की जांच या विचारण को बन्द कमरे में किया जायेगा।

परन्तु पीठासीन न्यायाधीश यदि इसे ठीक समझे तो, या दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर, किसी विशिष्ट व्यक्ति को, उस कमरे में या भवन में, जो न्यायलय द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है, प्रवेश करने, होने या रहने की अनुमति दे सकता है।

परन्तु यह और कि किसी महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा, यथासाध्य बन्द कमरे में विचारण किया जायेगा।

धारा 357 ख} कुछेक मामलों में पीड़ित को अतिरिक्त मुआवजा

आई पी सी की धारा 326क तथा 376घ के अधीन पीड़ित व्यक्ति को सी आर पी सी की धारा 357क अनुसार राज्य सरकार द्वारा देय मुआवजा उस राशि से अलग होगा जो पीड़ित को दोषसिद्ध व्यक्ति से बतौर जुर्माना देय हो।

धारा 357 ग} कुछेक मामलों में अस्पतालों व स्थानीय निकायों द्वारा निशुल्क चिकित्सा

केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी व्यक्ति द्वारा सचांलित सभी सरकारी/गैर सरकारी चिकित्सा संस्थान व अस्पताल इत्यादि में यदि कोई ऐसा पीड़ित/घायल व्यक्ति जिसके साथ आई पी सी की धारा 326क, 376, 376क, 376ख, 376ग तथा 376घ के तहत कोई अपराध हुआ है, आता है या लाया जाता है तो वे उसे तुरन्त निशुल्क प्राथमिक सहयता देंगे, इलाज करेंग तथा पुलिस को सूचित करेंगे।

दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम, 2018

धारा-26 न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं

इस संहिता के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए-

क- भारतीय दण्ड संहिता के अधीन किसी अपराध का विचारण ।

1. उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या

2. सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या

3. किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित (**Mentioned**) उल्लिखित किया गया है ।

परन्तु कोई अपराध जो आई.पी.सी.की धारा 376, 376क, 376ख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख या 376ड़ का है, जहां तक सभंव हो उसका विचारण महिला न्यायाधीश पीठासीन द्वारा होगा ।

ख. किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण, जब उस विधि में एक निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है, तब उस न्यायालय द्वारा किया जायेगा और जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं है तब

i. उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या

ii. किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना

प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है ।

व्याख्या

अपराधों को दो भागों के बांटा गया है, अर्थात् भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध और किसी अन्य विधि के अधीन अपराध । जहां तक भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराधों का सम्बन्ध है, वे विचारणीय हो सकते हैं उच्च न्यायालय द्वारा, सेशन न्यायालय द्वारा या अन्य न्यायालय द्वारा जो इस संहिता की प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है । अन्य न्यायालयों से सम्बन्धित उपबन्ध उच्च न्यायालय द्वारा या सेशन न्यायालय की अधिकारिता को कम या परिसीमित नहीं करते ।

धारा-154 संज्ञेय मामलों की सूचना

1. संज्ञेय अपराध के किए जाने से सम्बन्धित प्रत्येक सूचना, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक तौर पर दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जायेगी और सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जायेगी प्रत्येक ऐसी सूचना पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूवाक्त रूप से लेख बद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जायेगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित प्रविष्ट किया जाएगा ।

परन्तु यदि सूचना किसी ऐसी महिला द्वारा दी जाती है जिसके साथ आई पी सी की धारा 326क, 326ख, 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, 376, 376क, 376ख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख या 376ड़ या 509 के तहत कथित तौर पर कोई अपराध हुआ हो या प्रयास किया गया हो तो सूचना का सार केवल महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा ही लिखा जायेगा ।

क- परन्तु यह और कि यदि कोई व्यक्ति जिसके साथ आई पी सी की धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, 376, 376क, 376ख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख या 376ड़ या 509 के तहत कथित तौर पर कोई अपराध हुआ हो या प्रयास किया गया हो तथा ऐसा व्यक्ति यदि शारीरिक या मानसिक तौर पर स्थायी या मानसिक रूप से अयोग्य हो तो पुलिस अधिकारी सूचना का सार पीड़ित

व्यक्ति के घर पर या उसके पसन्द के स्थान पर ही दर्ज करेगा और जैसे भी हालात हो किसी व्याख्याकर्ता या पीडित के विशेष सलाहकार की मौजूदगी में करेगा ।

ख- इस प्रकार दर्ज की गई सूचना की वीडियोग्राफी की जायेगी ।

ग- जितनी जल्दी हो सके पुलिस अधिकारी उपखण्ड के तहत इस प्रकार लिखी गई सूचना को इस संहिता की धारा 164 की उपधारा 5क के उपखण्ड के तहत किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करवायेगा ।

2. उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित सूचना की प्रतिलिपि सूचना देने वाले को, तत्काल निःशुल्क दी जाएगी ।

3. कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना को अभिलिखित करने से इन्कार करता है, व्यथित है, ऐसी सूचना का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचना से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबन्धित रीति में अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध के सम्बन्ध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी ।

निर्णय

1. मध्य प्रदेश राज्य बनाम धारकोले उर्फ गोबिन्द सिंह व अन्य 2005 क्रि.ला.ज. 108 (सु.को.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट : गवाह का नाम उल्लिखित नहीं उसके साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं । समस्त गवाहों के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

2. हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल 1992 क्रि.ला.ज. 527 (सु.को.)

पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध कारित होने सम्बन्धी सूचना को इस आधार पर अभिलिखित करने से इंकार नहीं करना चाहिए । अन्य शब्दों में युक्ति-युक्तता अथवा साख अपराध पंजीबद्ध करने हेतु आवश्यक शर्त नहीं हैं, अतः यदि कोई सूचना जिसमें संज्ञेय अपराध प्रकट होता है और जो द.प्र.स. की धारा 154 (1) की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है तो पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को इसको निर्धारित प्रारूप में अभिलिखित करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है ।

व्याख्या

पुलिस अफसर को दी गई सूचना जो लेखबद्ध कर लो गई है जैसा कि इस धारा में अपेक्षित है, ‘प्रथम सूचना’ के नाम से जानी जाती है, दण्ड प्रक्रिया संहिता में “प्रथम सूचना रिपोर्ट” का उल्लेख नहीं किया गया है । यह महत्वपूर्ण दस्तोवज होती हैं और इसे सूचना देने वाले के साक्ष्य का समर्थन या खण्डन करने के लिए साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है । इस अध्याय के अधीन अन्वेषण प्रथम सूचना के आधार पर अग्रसर होता है । जब संज्ञेय अपराध को प्रकट करने वाली कोई सूचना किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो उसके आधार पर उसके पास मामले को रजिस्टर/अभिलिखित करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं होता ।

धारा-161 पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा

1. कोई पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी जो ऐसी स्तर से निम्नतर प्रवृत्ति का नहीं है। जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक, परीक्षा कर सकता है।

2. ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे अपराधिक आरोप या शक्ति या सम्पहरण की आशंका ये डालने की है, ऐसे मामले से सम्बंधित, उन सब प्रश्नों का सही सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा, जो ऐसा अधिकारी उससे पूछता है।

3. पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गये किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक और सही अभिलेख बनायेगा, जिसका कथन वह अभिलिखित करता है।

परन्तु इस उपधारा के अधीन किया गया कथन आडियो वीडियो इलैक्ट्रोनिक साधन द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि ऐसी स्त्रों जिसके साथ कथित तौर पर आई पी सी की धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, 376, 376क, 376कख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख या 376ड़ अथवा 509 के तहत कोई अपराध हुआ है या अपराध का प्रयास किया गया हो, के कथन किसी महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी के द्वारा ही रिकार्ड किये जायेंगे।

निर्णय

1. सुनील बनाम स्टेट आफ एम.पी. 1997 (1) जे.एल.जे. 192 सु.को.

पुलिस कथन से असंगत कथन था। साक्षी पर निर्भरता व्यक्ति नहीं की जा सकती।

व्याख्या

इस धारा के अधीन अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी मामले के तथ्यों से परिचित व्यक्ति की परीक्षा कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति के अभिकथनों को लेखबद्ध कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की मौखिक परीक्षा की जाएगी और वह व्यक्ति पूछे गए सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए बाध्य होगा और उससे ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जिससे उसके उपर कोई अपराधिक मामला बनता हो। यदि तफतीश करने वाला पुलिस अफसर किसी व्यक्ति के बयानको लिखता है, तो प्रत्येक व्यक्ति के बयान को अलग तौर से साफ-साफ लिखेगा। जहां तक सम्भव हो सके धारा 161 के अनुसार लिखे जाने वाले बयान बिना विलम्ब के लिखे जाने चाहिए।

धारा-164 संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना

1. कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट यदि उसे मामले में अधिकारिता हो या न हो, इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण प्रारम्भ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है।

परन्तु किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदत्त की गई है कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जायेगी।

संशोधन- इस उपधारा के अधीन किया हुआ कोई इकबाल या बयान एक अपराध के दोषी के अधिवक्ता की उपस्थिति में दृश्य इलैक्ट्रोनिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकता है।

किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जिसको किसी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी पुलिस अधिकारी मैजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की गई है, कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी।

2. मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को, जो संस्वीकृति कर रहा है, यह समझायेगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह उसे

करेगा तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग लाई जा सकती है। और मजिस्ट्रेट ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित नहीं करेगा जब तक उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको यह विश्वास करने का कारण न हो कि वह स्वेच्छा से की जा रही है।

3. संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा।

4. ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए धारा 281 में उपबन्धित रीति से अभिलिखित की जायेगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का ज्ञापन लिखेगा।

मैंने (नाम) को समझा दिया है कि वह संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो कोई संस्वीकृति, जो वह करेगा, उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग लाई जा सकती है और मुझे विश्वास है कि यह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है। यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गई है और जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है उसे यह पढ़कर सुना दी गई है और उसने उसका हाना स्वीकार किया है और उसके द्वारा किए गये कथन का पूरा और सही वृत्तान्त इसमें है।

हस्ताक्षर

मजिस्ट्रेट

5. उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसमें इसके पश्चात उपबन्धित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जायेगा जो मजिस्ट्रेट की राय में, मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है।

क- आई पी सी की धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, धारा 376 की उपधारा 1 व 2, 376क, 376कख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख या 376ड तथा 509 के तहत अपराध घटित होने वारे ज्यों ही कोई इतिला पुलिस को दी जाती है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट जिस व्यक्ति के साथ ऐसा कोई अपराध हुआ/किया गया हो, के कथन उपधारा 5 में दर्शाई गई रीति अनुसार दर्ज करेगा।

परन्तु यह कि यदि इस प्रकार व्यान देने वाला व्यक्ति यदि स्थायी या अस्थायी रूप से शारीरिक या मानसिक तौर पर अयोग्य है तो मजिस्ट्रेट उसके व्यान लिखते समय व्याख्याकर्ता या विशेष सलाहकार की मदद लेगा।

यह और कि यदि इस प्रकार व्यान देने वाला व्यक्ति यदि स्थायी या अस्थायी रूप से शारीरिक या मानसिक तौर पर अयोग्य है, तो व्याख्याकर्ता या विशेष सलाहकार की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा इस प्रकार रिकार्ड करवाये गये कथनों की वीडियों ग्राफी बनवाई जायेगी।

ख- उपखण्ड 'क' के अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से शारीरिक या मानसिक तौर पर अयोग्य किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार रिकार्ड करवाये गये कथनों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 137 के तहत बतौर मुख्य परीक्षा के रूप में माना जायेगा, जिन्हें द्रायल के दौरान रिकार्ड करना जरुरी नहीं होगा तथा इस प्रकार रिकार्ड करवाये गये कथनों के आधार पर ही कथनकर्ता व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा अर्थात् क्रास एग्जामीनेशन की जा सकेगी।

6. इस धारा के अधीन किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया जाना है।

व्याख्या

इस धारा के अनुसार कोई भी महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति का इकबालिया ब्यान लिख सकता है, जो उसके सामने अनुसंधान या जांच या विचारण शुरू होने से पहले

किया जाएं, चाहे उसको उस मामले में अधिकारिता प्राप्त हो या न हो। कोई भी पुलिस अफसर चाहे उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हो, किसी व्यक्ति का इकबाल नहीं लिख सकेगा। इकबाल लिखने से पहले मजिस्ट्रेट इकबाल करने वाले व्यक्ति को समझाएगा कि वह इकबाल करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि मजिस्ट्रेट को प्रश्न पूछने पर पता चलता है कि वह व्यक्ति इच्छा से इकबाल नहीं कर रहा, तो मजिस्ट्रेट उसके इकबाल को नहीं लिखेगा। यदि इकबाल करने वाला व्यक्ति इकबाल करने से इंकार कर देता है तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को पुलिस हिरासत में नहीं भेजेगा। इकबाल करने वाले व्यक्ति को इकबाल पढ़कर सुनाया जाएगा और उसके उपर उसके हस्ताक्षर भी करवाए जाएंगे इस धारा के अनुसार जो बयान लिए जाएंगे शपथ के द्वारा लिए जाएंगे।

निर्णय

1. सुनील कुमार बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. 1997 (1) जे.एल.जे. 192 सु.को.

मृत्युकालीन कथन देने वाला व्यक्ति यदि जीवित बच जाता है तो मृत्युकालीन कथन को संहिता की धारा 164 के कथन के रूप में माना जा सकेगा।

2. तुलसीदास बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1997 (1) म.प्र.वी.जो. 108 सु.को.

अभियुक्त को स्पष्ट तौर पर यह बता देना चाहिए कि कथन का उपयोग उसके विरुद्ध किया जा सकेगा।

धारा-173 अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट

1. इस अध्याय के अधीन किया जान वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलम्ब के बिना पूरा किया जायेगा।

(1-क). भारतीय दंड संहिता की धारा 376क, 376कख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख या 376ङ के मामले में अन्वेषण उस तारीख से जिसकी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा सूचना अभिलिखित की गई थी 02 मास के भीतर पूरा किया जाएगा।

2(1). जैसे ही अनुसंधान पूरा होता है, वैसे ही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें होगी।

क. पक्षकारों के नाम

ख. सूचना का रूप

ग. मामले के हालात की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों के नाम

घ. क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, और यदि किया हुआ प्रतीत होता है तो किसने किया।

ङ. क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है?

च. क्या वह जमानत पर छोड़ दिया गया है और यदि छोड़ दिया गया है तो वह बन्धपत्र प्रतिभुओं सहित है या प्रतिभुओं रहित।

छ. क्या वह धारा 170 के अधीन अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

ज. जहां अनुसंधान भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ और 376ङ के अधीन किसी अपराध के संबंध में है क्या स्त्री की चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट संलग्न की गई है।

2(2). वह अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने अपराध किए जान के सम्बन्ध में सर्वप्रथम सूचना दी, उस रीति से देगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये।

3. जहां धारा 158 के अधीन कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है वहां ऐसे किसी मामले में, जिसमें राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निर्देश देती है, वह रिपोर्ट

उस अधिकारी के माध्यम से दी जायेगी और वह, मजिस्ट्रेट का आदेश होने तक के लिए, पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को यह निर्देश दे सकता है कि वह आगे और अन्वेषण करें।

4. जब कभी इस धारा के अधीन भेजी गई रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके बन्ध पत्र पर छोड़ दिया गया है तब मजिस्ट्रेट उस बन्धपत्र के उन्मोचन के लिया या अन्यथा ऐसा आदेश करेगा जैसा वह ठीक समझे।

5. जब ऐसी रिपोर्ट का सम्बंध ऐसे मामले से है जिसको धारा 170 लागू होती है, तब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ-साथ निम्नलिखित भी भेजेगा-

क. वे सब दस्तावेज या उनके सुसंगत उद्धरण, जिन पर निर्भर करने का अभियोजन का विचार है और जो उससे भिन्न हैं जिन्हें अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले ही भेज दिया गया है।

ख. उन सब व्यक्तियों के, जिनकी साक्षियों के रूप में परीक्षा करने का अभियोजन का विचार हैं, धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन :

6. यदि पुलिस अधिकारी की यह राय है कि ऐसे किसी कथन का कोई भाग कार्यवाही की विषय वस्तु से सुसंगत नहीं है या उसे अभियुक्त को प्रकट करना न्याय के हित में आवश्यक नहीं है और लोकहित के लिए असमीचीन है तो वह कथन में उस भाग को उपदर्शित करेगा और अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतिलिपि में से उस भाग को निकाल देने के लिए निवेदन करते हुए और ऐसा निवेदन करने के अपने कारणों का कथन करते हुए एक नोट मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

7. जहां मामले का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी ऐसा करना सुविधापूर्ण समझता है वहां वह उपधारा (5) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं दस्तावेजों की प्रतियां अभियुक्त को दे सकता है।

8. इस धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में उपधारा (2) के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात आगे अन्वेषण को प्रवरित करने वाली नहीं समझी जाएगी तथा जहां ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या अभिलिखित साक्ष्य मिले वहां वह ऐसे साक्ष्य के सम्बंध में अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को विहित प्रारूप में भेजेगा, आर उपधारा (2) से (6) तक के उपबन्ध ऐसी रिपोर्ट पर रिपोर्ट के बारे में, जहां तक हो सके, ऐसे लागू होंगे, जैसे वे उपधारा (2) के अधीन भेजी गई रिपोर्ट में सम्बंध में लागू होते हैं।

स्पष्टीकरण

धारा 173 (8) और 319 मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान आग जांच को वर्जित नहीं करता है। आगे जांच के आधार पर पूरक आरोप पत्र फाईल करना- अभियुक्त को नोटिस आवश्यक नहीं है।

निर्णय

1. रुपन देओल बजाज बनाम कवंरपाल सिंह गिल 1996 क्रि.ला.ज. 381 (सु.को)

बिना कारण बताये सज्जान लेने से इंकार कर पुलिस रिपोर्ट स्वीकार को (आदेश अपास्त्योग्य)

व्याख्या

पुलिस अधिकारियों को अन्वेषण के तीन भिन्न प्रक्रमों पर तीन विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट तैयार करनी होती है। (1) धारा 157 थाने के भारसाधक अधिकारी से मजिस्ट्रेट को प्रारम्भिक रिपोर्ट भेजे जाने की अपेक्षा करती है (2) धारा 168 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी से थाने के भार साधक अधिकारी को रिपोर्ट भेजे जाने की अपेक्षा करती है। (3) धारा 173 अन्वेषण पूरा होते ही पुलिस अधिकारी से मजिस्ट्रेट को अन्तिम रिपोर्ट भेजे जाने की अपेक्षा करती है। ऐसी अन्तिम रिपोर्ट पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से भेजी जाएगी, रिपोर्ट के जो भी दस्तावेज लगाए जाए उनकी प्रतियां यदि पुलिस

अफसर अभियुक्त को देना उचित समझता है, तो दे सकता है। धारा 173 (2) के अनुसार भेजी गई रिपोर्ट पुलिस अफसर को उस अपराध का और आगे अन्वेषण करने से रोकती नहीं है, यदि पुलिस अफसर को उस अपराध के होने के बारे में और कोई ठोस, मौखिक या दस्तावेजी सबूत मिलते हैं तो पुलिस अफसर उसकी अलग से पूरक अन्तिम रिपोर्ट बनाकर न्यायालय को भेज सकता है।

निर्णय

1. संदीप एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य 2001 (2) क्राइम्स 224

दाइडिक न्यायालय को अपना समय इस बात के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए कि वह पुलिस अन्वेषण में हुई चूकों को निकाले - प्रयत्न होना चाहिए कि सत्य तथ्यों की खोज कर निकाले कि यह मामला खुले दिन के प्रकाश में चुनाव के दिन हत्या हुई है - जिन दूसरे अभियुक्तों को जमानत मिली है, उनका मामला भिन्न है।

2. लालू देवी एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य 2005 सीआर.सी.जे. 543 राजस्थान।

मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का सज्जान आगे जांच को वर्जित नहीं करता है - आगे जांच के आधार पर पूर्व आरोप पत्र फाईल करना - अभियुक्त को नोटिस आवश्यक नहीं है।

धारा 197 न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन

1. जब किसी व्यक्ति पर, जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या ऐसा लोक सेवक हैं या जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं, किसी ऐसे अपराध का अभियोग है जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वार तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था, जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित था, तब कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का सज्जान लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय--

क- ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो संघ के कार्यकलाप के सम्बन्ध में, यथास्थिति, नियोजित है या अभिकथित अपराध के लिए जाने के समय नियोजित था,

ख- ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो किसी राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में, यथास्थिति, नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था, उस राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं:

परंतु जहां अभिकथित अपराध खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया था जब राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा प्रवृत्त थी, वहां खण्ड (ख) इस प्रकार लागू होगा मानो उसमें आने वाले “राज्य सरकार” के पद के स्थान पर “केन्द्रीय सरकार” पद रख दिया गया हो।

स्पष्टीकरण

सन्देह निवारण हेतु यह घोषित किया जाता है कि यदि कोई लोक सेवक जो कथित तौर पर आई पी सी की धारा 166क, 166ख, 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, 370, 375, 376क, 376कख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख या 376ङ् या 509 में दोषी हो तो उसे अभियोजित करने के लिये किसी से कोई मन्जूरी लेने की अवश्यकता नहीं।

2. कोई भी न्यायालय संघ के सशस्त्र बल के किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी अपराध का सज्जान, जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वार तब किया गया था, जब वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था या जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित था, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं।

3. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उसमें यथा-निर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या, प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य-भार सौंपा गया है, जहां कहीं भी वे सेवा कर रहे हों, उपधारा (2) के उपबन्ध लागू होंगे और तब उस उपधारा के उपबन्ध इस

प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले “केन्द्रीय सरकार” पद के स्थान पर, “राज्य सरकार” पद रख दिया गया है।

3-क. उपधारा 3 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय ऐसे बलों के किसी स्दस्य द्वारा, जिसे राज्य में लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य-भार सौंपा गया है, किए गए किसी ऐसे अपराध का संज्ञान, जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया किया गया जब वह, उस राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा के प्रवृत्त रहने के दौरान, अपने पदीय कर्तव्य के निवर्हन में कार्य कर रहा था या जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित था, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं।

3-ख. इस संहिता में या किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यह घोषित किया जाता है कि 20 अगस्त, 1991 को प्रारम्भ होने वालों और दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 का 43), पर राष्ट्रपति जिस तारीख का अनुमति देते हैं, उस तारीख की ठीक पूर्ववर्ती तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, ऐसे किसी अपराध के सम्बन्ध में जिसका उस अवधि के दौरान किया जाना अभिकथित है जब संविधान के अनुच्छेद 356 खण्ड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा राज्य में प्रवृत्त थी, राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई मंजूरी या ऐसी मंजूरी पर किसी न्यायालय द्वारा किया गया कोई संज्ञान अविधिमान्य होगा और ऐसे विषय में केन्द्रीय सरकार मंजूरी प्रदान करने के लिए सक्षम होगी तथा न्यायालय उसका संज्ञान लेने के लिए सक्षम होगा।

4. यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उस व्यक्ति का जिसके द्वारा और उस रीति का जिससे वह अपराध या वे अपराध, जिसके या जिनके लिए ऐसे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक का अभियोजन किया जाना है, अवधारण कर सकती है और वह न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसके समक्ष विचारण किया जाना है।

धारा-309 कार्यवाही को मुल्तवी या स्थगित करने की शक्ति

1. प्रत्येक जांच या विचारण में कार्यवाही यथा सम्भव शीघ्रता से की जाएगी और विशिष्टतः जब साक्षियों की परीक्षा एक बार शुरू हो जाती है तो वह सभी हाजिर साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक दिन प्रति दिन जारी रखी जाएगी, जब तक की ऐसे कारणों से जो लेख बन्द किए जाएंगे, न्यायालय अगले दिन से परे के लिए उसे स्थगित करना आवश्यक ना समझे।

परन्तु जब जांच या विचारण आई.पी.सी. धारा 376क, 376कख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख या 376ड के तहत अपराध से संबंधित है। जांच या विचारण जहां तक संभव हो सके, गवाहों के परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से दो माह की अवधि में पूरी की जाएगी।

2. यदि न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान करने या विचारण के प्रारम्भ होने के पश्चात् यह आवश्यक या उचित समझता है कि किसी जांच या विचारण का प्रारम्भ करना मुल्तवी कर दिया जाए या उसे स्थगित कर दिया जाये तो समय-समय पर ऐसे कारणों से, जो लेखबन्द किए जाएंगे, ऐसे उपबन्धों पर जिसे वह ठीक समझे, उतने समय के लिए, जितना वह उचित समझे मुल्तवी या स्थगित कर सकता है और यदि अभियुक्त अभिरक्षा में हो उसे वारन्ट द्वारा रिमाण्ड कर सकता है।

परन्तु कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को इस धारा के अधीन एक समय में पन्द्रह दिन से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) न करेगा।

परन्तु यह और कि जब साक्षी हाजिर हो, तब उनकी परीक्षा किए बिना स्थगन या मुल्तवी करने की मंजूरी विशेष कारणों के बिना, जो लेखबन्द किए जाएंगे, नहीं दी जाएगी।

परन्तु यह भी कि कोई स्थगन कवल इस प्रयोजन के लिए नहीं मंजूर किया जाएगा कि वह अभियुक्त को उस पर अधिरोपित किए जाने के लिए प्रस्थापित दण्डादेशों के विरुद्ध दर्शित करने में समर्थ बनाए।

संशोधन (अधिसूचित नहीं)

1. जहां परिस्थितियां पक्षकार के नियंत्रण से बाहर है, के सिवाय किसी भी स्थगन को मंजूरी नहीं दी जाएगी।

2. अगर यह तथ्य है कि पक्षकार का प्लीडर दूसरे न्यायालय में कार्यरत है। तो यह स्थगन के लिए कोई आधार नहीं होगा।

ग. जहां एक गवाह न्यायालय में उपस्थित है परन्तु एक पार्टी या उनका वकील हाजिर नहीं है या पक्षकार या वकील यद्यपि हाजिर है और गवाह की प्रति परीक्षा हेतु तैयार नहीं हैं। न्यायालय अगर ठीक समझता है, तो गवाह का बयान और ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो साक्षियों की मुख्य परीक्षा या प्रति परीक्षा से छूट देने के लिए ठीक समझे।

स्पष्टीकरण

यदि यह सन्देह करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है कि हो सकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है और यह सम्भाव्य प्रतीत होता है प्रतिप्रेषक करने पर अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है तो वह रिमाण्ड में लिए एक उचित कारण होता है।

व्याख्या

यह धारा मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान करने या विचारण के प्रारम्भ होने के पश्चात् युक्तियुक्त कारण के आधार या अभियुक्त व्यक्ति को कारगार में पतिप्रेषित करने के लिए प्राधिकृत करती है। यह जांच या विचारण में कार्यवाही के स्थगन से सम्बन्धित है। और पुलिस अन्वेषण से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। पुलिस द्वारा निरुद्ध किया जाना उस अभिरक्षा से पूर्णतयाः भिन्न होता है। धारा 167 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा निरोध, एक या अधिक प्रतिप्रेषणों को मिला कर, 15 दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं हो सकता है।

जहां अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है और पुलिस उसे किसी अन्य मामले में अन्वेषण के सम्बन्ध में धारा 167 के अन्तर्गत पुलिस अभिरक्षा में ले जाना चाहती है, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए पुलिस के सुपुर्द कर सकता है। धारा 309 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिप्रेषण आदेश आरोप पत्र दाखिल किए जाने और संज्ञान करने के औपचारिक आदेश के पूर्व पारित किया जा सकता है।

धारा 309 (2) के अधीन आदेश केवल अन्तरिम आदेश होता है और न्यायालय उसमें परिवर्तन कर सकता है या वापस ले सकता है। न्यायालय पत्रकार के मात्र कहने पर ही कार्यवाही स्थगित करने के लिए आबद्ध नहीं होता।

केस निर्णय

1. **अभिका प्रसाद बनाम दिल्ली स्टेट (2000) SCC 646 AIR 2000 SC 718 2000 क्रि.ला.ज. 810 ए**

Aejudo V. State 2002 क्रि.ला.ज. 3007 (Born)

साक्षियों की एक-एक कर परीक्षा करने से बचना चाहिए। एक बार विचारण शुरू होने पर उसे दिन प्रति दिन के आधार पर चालू रखना चाहिए।

घटना के तुरन्त बाद एफ.आई.आर. दर्ज करने वाले अभियोजन साक्षी को लगातार धमकाया जा रहा था और मृतक का भाई होते हुए भी उसे सच्चाई ना कहने के लिए बाध्य किया जा रहा था। अन्य सभी साथी बागी (Hostile) हो गये और उसी आधार पर हाई कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त पक्ष पैसे और बाहुबल से काफी मजबूत था। मुख्य परीक्षक की परीक्षा समाप्त होते ही वकील के कहने से प्रति-परीक्षा स्थगित कर दी गई परन्तु फिर कुछ महीने बाद सम्पन्न कर दी गई। यह निर्णय दिया गया कि यह अत्यन्त अनुचित बात थी।

सेशन जज को धारा 309 की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए विचारण को दिन प्रतिदिन साक्षियों की परीक्षा करके पूरा करना चाहिए था और अभियुक्त को गवाहों को धमकाने और अपने पक्ष में करने का अवसर नहीं देना चाहिए था। यदि अभियुक्त के वकील की स्थगन

की प्रार्थना मन्जूर करनी थी तो भी प्रति परीक्षा को दो या तीन दिन से ज्यादा के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए था।

धारा-327 न्यायालयों का खुला होना

1. वह स्थान, जिसमें कोई दण्ड न्यायालय किसी जुर्म की जांच या सुनवाई के लिए बैठता है खुला न्यायालय समझा जाएगा, जिसमें जनता साधारणः प्रवेश कर सकेगी जहां तक कि सुविधापूर्वक वे उसमें समा सकें।

परन्तु यदि पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो वह किसी विशिष्ट मामले की जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में आदेश दे सकता है कि जन साधारण या कोई विशेष व्यक्ति उस कमरे में या भवन में जो न्यायालय द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है, न तो प्रवेश करेगा, न होगा और न रहेगा।

2. उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी भा.द.स.1860 की धारा 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख या 376ड़ के अधीन बलात्संग या किसी अपराध की जांच या विचारण बन्द कमरे में किया जाएगा।

परन्तु यदि पीठासीन न्यायाधीश, यदि ठीक समझता है तो या दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर किसी विशिष्ट व्यक्ति को उस कमरे में या भवन में प्रवेश करने रहने या होने की अनुज्ञा दे सकता है।

बंद कमरे वाला विचारण, यथासाध्य, एक महिला जज या मजिस्ट्रेट द्वारा संचालित होगा।

3. जहां उपधारा (2) के अधीन कोई कार्यवाही की जाती है वहां किसी व्यक्ति के लिए किसी ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी बात को न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना मुद्रित व प्रकाशित करना विधिपूर्ण नहीं होगा।

बलात्कार के अपराध के संबंध में होने वाली विचारण प्रक्रियाओं के प्रकाशन और मुद्रण पर पक्षकार के नाम व पता का गुप्त रखने के तहत, प्रतिबंध हाँगा।

व्याख्या

जिस स्थान पर किसी मामले का विचारण किया जाएगा, उसे ऐसा खुला न्यायालय माना जाएगा, जिसमें जनता किसी विशिष्ट मामले के विचारण मजिस्ट्रेट के इस आदेश के अध्याधीन प्रवेश कर सकती है कि जनता का कोई विशिष्ट व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह धारा मजिस्ट्रेट का साधारणतः जनता या किसी विशेष व्यक्ति को न्याय कक्ष से अपवर्जित करने के लिए सशक्त करती है। न्यायालय ऐसे मामलों में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है, जिनकी कार्यवाही या संचालन एकांत स्थान में किया जाना चाहिये।

केस निर्णय

1. छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बनाम स्टेट ऑफ ए.सी. 1996 सी.जे.डब्लू 2239 (म0प्र0)

जहां व्यापार संघ के एक नेता की हत्या के मामले में, सेशन न्यायाधीश ने विचारण बन्द कमरे में किए जाने के लिए आदेशित कर दिया था, क्योंकि भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी से जो न्यायालय कक्ष में समा नहीं सकते थे। असुविधा हो रही थी।

यह अभिनिर्धारित हुआ कि वह आदेश बनाए नहीं रखा जा सकता था क्योंकि न्यायालय न्याय का मंदिर होता है और उसमें जाने का हर व्यक्ति का अधिकार होता है। तथापि विचारण न्यायालय लोगों के आने को विनियमित कर सकता है।

2. साक्षी बनाम यूनियन आफ इंडिया, 2004 क्रि.ला.ज. 2881 (SL)

बलात्कार महिला का साक्ष्य लेने में पूरी शालीनता प्रदर्शित की जानी चाहिए और आवश्यक हो तो विडियो कांफेसिंग की जाए या लिखित प्रश्न पूछकर जवाब हासिल किए जाएं।

यदि महिला शिशु है तो पूछताछ के दौरान उचित इंटरवल दिया जाना जरुरी है। इस धारा के भी उपबंधों का पालन किया जाना चाहिए।

धारा 357ख भारतीय दंड संहिता की धारा 326 या धारा 376घ के तहत जुर्माने के अतिरिक्त संदाय

भारतीय दंड संहिता की धारा धारा 357क के अधीन राज्य द्वारा संदेय प्रतिकर धारा 326क धारा 376क, 376कख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख या 376ङ् पीडिता को जुर्माने का संदाय करने के अतिरिक्त होगा।

धारा 357ग पीडितों का उपचार

केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी व्यक्ति द्वारा सचांलित सभी सरकारी/गैर सरकारी चिकित्सा संस्थान व अस्पताल इत्यादि में यदि कोई ऐसा पीड़ित/घायल व्यक्ति जिसके साथ आई पी सी की धारा 326क, 376क, 376कख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख या 376ङ् के तहत कोई अपराध हुआ है, आता है या लाया जाता है तो वे उसे तुरन्त निशुल्क प्राथमिक सहायता देंगे, इलाज करेंगे तथा ऐसी घटना की सूचना पुलिस को तुरंत देंगे।

धारा-374 दोषसिद्धि से अपील

1. कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण आरम्भिक दांडिक अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विचारण में दोषसिद्धि किया गया है, उच्चतम न्यायालय से अपील कर सकता है।
2. कोई व्यक्ति, जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण में या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्धि किया गया है, जिसमें सात वर्ष से अधिक के कारावास का दंडादेश उसके विरुद्ध या उसी विचारण में दोषसिद्धि किए गए अन्य व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया है, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है।
3. उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई व्यक्ति-
क- जो महानगर मजिस्ट्रेट या सहायक सेशन न्यायाधीश या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्धि किया गया है,
ख- जो धारा 325 के अधीन दडादिष्ट किया गया है,
ग- जिसके बारे में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 360 के अधीन आदेश दिया गया है या दंडादेश पारित किया गया है।
सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है।
4. जब भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376क, 376कख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख व 376ङ् के अधीन पारित किसी दंडादेश के विरुद्ध अपील फाईल की गई है, तो अपील का निपटारा, ऐसी अपील फाईल किए जाने की तारिख से छः माह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

धारा-377 राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील

1. उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय राज्य सरकार उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा किए विचारण में दोषसिद्धि के किसी मामले में लोक अभियोजक को दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध-
क- सेशन न्यायालय में, यदि दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है और
ख- उच्च न्यायालय में, यदि दंडादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है,
अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकती है।
2. यदि ऐसी दोषसिद्धि किसी ऐसे मामले में है जिसमें अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष स्थापना अधिनियम, 1946 के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा या इस संहिता से भिन्न

किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिए सशक्ति किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया है तो केन्द्रीय सरकार भी लोक अभियोजक को दंडोदश की अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध-

क- सेशन न्यायालय में, यदि दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है

ख- उच्च न्यायालय में, यदि दंडादेश को किसी अन्य न्यायालय के द्वारा पारित किया जाता है, अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकती है।

3. जब दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर अपील की गई है तब यथास्थिति सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय उस दंडादेश में वृद्धि तब तक नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त की ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है और कारण दर्शित करते समय अभियुक्त अपनी दोषमुक्ति के लिए या दंडादेश में कमी करने के अभिवचन कर सकता है।

जब भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376क, 376कख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख व 376ङ के अधीन पारित किसी दंडादेश के विरुद्ध अपील फाईल की गई है, तो अपील का निपटारा, ऐसी अपील फाईल किए जाने की तारिख से छः माह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

धारा-438 गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत स्वीकृत करने के निर्देश

1. जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानतीय अपराध के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जाएगा, तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है तो ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और उच्च न्यायालय अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए अर्थात्-

- I. अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता,
- II. आवेदक को पूर्ववत्त जिसमें यह तथ्य भी है कि क्या उसने किसी संज्ञेय अपराध की बाबत किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले सजा भुगती है,
- III. न्याय से भागने की आवेदक की सम्भावना बारे,
- IV. जहां आवेदक द्वारा उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुचानें या अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है, परन्तु

वहां या तो तत्काल आवेदन अस्वीकार करेगा या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए अन्तर्रिम आदेश देगा। स्थिति अनुसार उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय ने इस धारा के अधीन कोई अन्तर्रिम आदेश पारित नहीं किया है या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया है वहां प्रबन्धक थाना इस बात के लिए मुक्त रहेगा कि ऐसे आवेदन म आशंकित अभियोग के आधार पर आवेदक को बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सके।

1.क. जहां न्यायालय उपधारा(1) के अधीन अन्तर्रिम आदेश मंजूर करता है वह तत्काल एक सूचना जो सात दिवस से कम समय की सूचना न होगी के साथ ऐसे आदेश की एक प्रति न्यायालय द्वारा आवेदन की अन्तिम समय सुनवाई के लिए लोक अभियोजक को सुनाई का अवसर देने की दृष्टि से लोक अभियोजक और पुलिस अधीक्षक को देगा।

1.ख. अग्रिम जमानत चाहने वाले आवेदक की उपस्थिति, यदि लोक अभियोजक द्वारा इसके लिए किए गए आवेदन पर न्यायालय यह विचार करता है कि न्याय हित म ऐसी उपस्थिति आवश्यक है तो न्यायालय द्वारा आवेदन की अन्तिम सुनवाई और अन्तिम आदेश पारित करते समय बाध्यकर होगी।

2. जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा(1) के अधीन निर्देश देता है तब वह उस विशिष्ट मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निर्देशों में ऐसी शर्त जो वह ठीक समझे, सम्मिलित कर सकता है जिनमें निम्नलिखित भी हैं-

- i. यह शर्त है कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब चाहे तो उपलब्ध होगा ।
 - ii. यह शर्त है कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा ।
 - iii. यह शर्त है कि यह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़गा ।
 - iv. ऐसी अन्य शर्त जो धारा 437 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती है, मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो ।
3. यदि उसके बाद उस व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चित करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वांट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा (1) के अधीन न्यायालय के निर्देश के अनुरूप जमानतीय वारन्ट जारी करेगा ।

4. इस धारा की कोई बात भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा (3) या 376 की कख या धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन अपराध किए जाने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफतारी की दशा में लागू नहीं होगी ।

व्याख्या

यह उपधारा विधि आयोग की सिफारिश पर लाई गई है । पुरानी संहिता के अन्तर्गत अग्रिम जमानत मंजूर करने के बारे में कोई उपबन्ध नहीं था । कई उच्च न्यायालयों का यह मत था कि जब तक कि कोई परिरुद्ध न हो अर्थात् विधिक अभिरक्षा में न हो कोई जमानत मंजूर नहीं की जा सकती थी ।

अग्रिम जमानत की आवश्यकता मुख्यतः इसलिए पड़ती है कि कभी-कभी प्रभावशाली लोग अपने प्रतिद्वंद्यों को अपमानित करने के प्रयोजन से उनको कुछ मामलों में फसाने या अन्य प्रयोजनों से उनको कुछ दिन जेल में बन्द कराने का प्रयास करते हैं । यह धारा मृत्यु दण्ड और आजीवन कारावास से दण्डनीय किए जाने वाले अपराधों पर ही लागू नहीं होती है बल्कि सभी गैर जमानती अपराधों पर लागू होती हैं । इसको इसी प्रकार सेशन द्वारा विचारणीय मामलों में लागू होने तक सीमित नहीं रखा जा सकता है । परन्तु यह धारा जमानती अपराध पर लागू नहीं होती है, व्याख्या करती है कि गैर जमानती अपराध में गिरफतारी की आशंका होने पर एक अर्जी देगा, जिसका उद्देश्य है कि उसे अनावश्यक परेशानी तथा अपमान से बचाया जाए । यह जमानत तभी दी जाएगी जब न्यायालय अन्यथा सन्तुष्ट होगा कि दी गई आजादी का व्यक्ति गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, वह न तो फरार होगा और न ही विधिक प्रक्रिया की अवहेलना करेगा ।

केस निर्णय

1. गुरुबक्ष सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब ए.आई.आर. 1978 (PHC)

यद्यपि इस धारा की शक्ति बारे में मार्गदर्शक नियमों का अभाव ह परन्तु वास्तव में इसका प्रयोग जमानत मंजूर किए जाने की शक्ति पर धारा 437 द्वारा अधिरोपित परिसीमाओं के अध्यधीन ही किए जाने की अपेक्षा की जाती है । धारा 437 में शामिल परिसीमाओं के अतिरिक्त अग्रिम जमानत पाने के लिए याची को अपने मामले को एक विशेष मामला साबित करना चाहिए । जमानत देने के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है, उनका उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पष्ट बातें कह कर जमानत का आदेश करना उचित नहीं होगा ।

2. गबरेल जोसेफ बनाम फरोज गुलाम सखर खान, बनाम 1992 क्रि.ला.ज. 458 मु0

यहां पुलिस रिपोर्ट से यह उपदर्शित होता था कि अभियुक्त ने गम्भीर अपराध किए थे और न्यायालय सम्पत्ति बरामद करने और अन्वेषण पूरा करने के लिए युक्तियक्त साक्ष्य देने की पुलिस की याचिका को नामंजूर कर दिया था। यहां अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा मंजूर की गई अग्रिम जमानत अपास्त कर दी गई और पुलिस दाखिला माल करते हुए बरामदगी का मौका दिया।

3. नतुराम बनाम स्टेट 1998 क्रि.ला.ज. 1762 मद्रास

प्रथम इतिला रिपोर्ट अभिकथित घटना के 20 से अधिक दिनों के बाद दर्ज कराई गई थी, आवेदक-अभियुक्त के विरुद्ध मृतक के परिवार के सदस्यों या मौहल्ले के अन्य रहने वालों ने कोई संदेह व्यक्त किया था, हत्या किए जाने के बारे में कोई सबूत नहीं, अग्रिम जमानत मंजूर की गई।

धारा-439 जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शाक्तियां

1. उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि-

क. किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर किसी अपराध का अभियोग है और जो अभिरक्षा में हैं, जमानत पर छोड़ दिया जाए और यदि अपराध धारा 437 की उपधारा (3) में दिये प्रकार का है, तो वह ऐसी कोई शर्त, जिसे वह उस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे, अधिरोपित कर सकता है।

ख. किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त हटा सकता है या बदल सकता है।

परन्तु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की, जो ऐसे अपराध का दोषी है, जो अन्नयतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, या जो यद्यपि इस प्रकार विचारणीय नहीं है, आजीवन कारावास से दण्डनीय है, जमानत लेने से पूर्व जमानत के लिए आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को उस दशा के सिवाय देगा जब उसकी, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे। यह राय है कि सूचना देना साध्य नहीं है।

परंतु यह और कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की जो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा (3) या 376 की कख या धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन विचारणीय किसी अपराध का अभियुक्त है जमानत लेने के पूर्व जमानत के आवेदन की सूचना, ऐसे आवेदन की सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लोक अभियोजक को देगा।

1क. भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा (3) या 376 की कख या धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन व्यक्ति जमानत के लिए आवेदन की सुनवाई के समय सूचना देने वाले या उसकी ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति बाध्यकारी होगी।

2. उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अध्याय के अधीन जमानत पर छोड़ा जा चुका है। गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और उसे हिरासत में भेज सकता ह।

व्याख्या

यह धारा उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय को अभियुक्त की जमानत मंजूर करने के लिए अबाध विशेषाधिकार प्रदान करती है, परन्तु उस विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिकतः किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय की जमानत मंजूर करने की शक्ति धारा 437 में अन्तर्विष्ट निर्बन्धनों द्वारा बाधित नहीं होती है। प्रत्येक मामले में न्यायालय को सभी परिस्थितियों को मिला कर उनके संचायी प्रभाव पर ही ध्यान देना चाहिए और वे बातें इतनी अधिक होती हैं कि उन्हें

वर्गीकृत या सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। यद्यपि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है किन्तु जहां अभियुक्त ऐसे अपराधों में लिप्त हैं, जो गम्भीर और भीषण प्रकृति के होते हैं तो अपवाद लागू किया जाएगा और नियम लागू नहीं होगा।

केस निर्णय

1. नेबुलाल शाह 1995 क्रि.ला.ज. 4084 कोलकत्ता

भा.द.स. की धारा302/307/201 ख के अधीन एक मामले में कलकत्ता के उच्च न्यायालय द्वारा जमानत नामंजूर कर दी गई थी क्योंकि आरोप जघन्य अपराधों के थे और साक्ष्य के बिंदु जाने की सम्भावना थी।

यह अभिनिर्धारित हुआ कि यह नहीं कहा जा सकता था कि द.प्र.स. की धारा 173 (8) के अधीन अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद प्रस्तुत की गई थी, बल्कि वह सभी पूरा हो गया था। जब विहित समय के अन्दर पहला आरोप पत्र दाखिल किया गया था, इसलिए अभियुक्त 50 द.प्र.स. की धारा 167 (2) के अधीन जमानत मंजूर किए जाने का हकदार था।

2. नरेश कुमार बनाम स्टेट आफ हरियाणा 1997 क्रि.ला.ज. 2216 पंजाब व हरियाणा

जहां हत्या के एक मामले के अभियुक्त लाठी लेकर अभियुक्त के साथ मृतक के घर गया था और केवल दर्शक ही नहीं था, यह नहीं कहा जा सकता कि उसे धारा 302/149 के अधीन आरोपित नहीं किया जाएगा और उसे जमानत पर छोड़ा नहीं जा सकता था।

3. टी. जगदेश्वर बनाम 2003 क्रि.ला.ज. 701 यू.पी.

जहां अन्वेषण अभी लम्बित था और मरणोपरांत शव परीक्षण की रिपोर्ट अभी आई नहीं थी, इस स्तर पर जमानत देने से मना कर दिया गया।

4. प्रकाश बनाम स्टेट आफ एम.पी. 1995 क्रि.ला.ज 869 एम.पी.

दो हत्याओं के एक मामले में जमानत इस आधार पर चाही गई कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष तीन सप्ताह तक पेश नहीं किया गया था और आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 12 दिन बाद भी जमानत की प्रतियां उसे उपलब्ध नहीं कराई गई थी। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने केवल जमानत मंजूर करने से इन्कार कर दिया।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संशोधन, 2013

धारा 53 क} कुछ विशेष मामलों में पीड़िता के शील, चरित्र व पूर्व यौन अनुभव के सम्बन्ध में दिये गये साक्ष्य का सुसंगत न होना ।

आई पी सी की धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ व 376ड के अधीन कोई अपराध अथवा ऐसा कोई अपराध करने के प्रयास से दण्डनीय किसी मामले के अभियोजन में प्रश्न यह कि क्या पीड़ित महिला की सहमति थी । पीड़िता के शील/चरित्र एवं किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसके पूर्व यौन सम्बन्ध/ अनुभव बारे दिये गये साक्ष्य ऐसा सहमति या सहमति की कसौटी विवादों में सुसंगत नहीं होंगे ।

धारा 114 क} कुछ बलात्कार मामलों के अभियोजन में सहमति न होने की अवधारणा करना ।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 की उपधारा 2 के उपखण्ड क, ख, ग, ध, ड, च, छ, ज, झ, जे, ट, ठ, ढ, ड के अधीन बलात्कार मामलों के अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा यौन संसर्ग किया जाना साबित हो जाता है तथा प्रश्न यह कि क्या ऐसा कथित तौर पर बलात्कार पीड़ित महिला की सहमति से हुआ था, और यदि ऐसी महिला न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में कथन करती है कि उसकी सहमति नहीं थी तो न्यायालय अवधारणा करेगा कि उस महिला की सहमति नहीं थी ।

स्पष्टीकरण} इस धारा में यौन संसर्ग से अभिप्राय ऐसे किसी भी कार्य से है जो आई पी सी की धारा 375 के उपखण्ड क से घ में उल्लेखित हैं ।

धारा 119} ऐसा साक्षी जो बोलने में असमर्थ हो

कोई भी साक्षी जो बोलने में असमर्थ हो तो वह अपनी बात समझ में आने योग्य किसी अन्य तरीके से जैसे कि लिख कर या संकेतों से अपना साक्ष्य दे सकता है, परन्तु लिख कर या संकेतों द्वारा इस प्रकार का साक्ष्य खुले न्यायालय में लिया जा सकेगा तथा इस प्रकार लिया गया साक्ष्य बतौर मौखिक साक्ष्य स्वीकार्य होगा ।

परन्तु यदि साक्षी बोलने में असमर्थ है तो न्यायालय उसके कथन रिकार्ड करने के लिये किसी व्याख्याकर्ता या विशेष शिक्षक की मदद लेगा । तथा इस प्रकार लिये गये कथनों की वीडियोग्राफी बनाई जायेगी ॥

धारा 146} प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न

जब किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा की जाती है तो उस से पहले से पूछे गये प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे, जिनकी प्रवृत्ति --

1} उसकी सत्यवादिता परखने की है,

2} यह पता लगाना कि वह कौन है और जीवन में उसकी क्या स्थिति है, या

3} उसके चरित्र पर दोष लगा कर, उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुचाने की है, चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसे प्रत्यक्षतः या परोक्षतः अपराध में फसाने की प्रवृत्ति रखता या उसे किसी शास्ति या सम्पहरण के लिये फसाता हो,

परन्तु आई पी सी की धारा 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 376ड या इन्हे करने के प्रयास से दण्डनीय किसी अपराध के अभियोजन में जहां पीड़िता की सहमति प्रश्नगत हो तो पीड़िता की प्रतिपरीक्षा के दौरान उसकी सहमति या सहमति की कसौटी साबित करने के लिये उसके सामान्य अनैतिक चरित्र और किसी अन्य व्यक्ति से उसके पूर्व यौन सम्बन्धों बारे साक्ष्य लेने अथवा प्रश्न पूछे जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संशोधन 2018

धारा-53क. कुछ विशेष मामलों में पीड़िता के शील, चरित्र व पूर्व यौन अनुभव के सम्बन्ध में दिये गये साक्ष्य का सुसगंत न होना

भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, 376, 376क, 376कख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख 376ड़ के अधीन कोई अपराध अथवा ऐसा कोई अपराध करने के प्रयास से दण्डनीय किसी मामले के अभियोजन में प्रश्न यह कि क्या पीड़ित महिला की सहमति थी पीड़िता के शील/चरित्र एवं किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसके पूर्व यौन सम्बन्ध/अनुभव बारे दिये गये साक्ष्य ऐसो सहमति या सहमति की कसौटी विवादों में सुसगंत नहीं होंगे ।

धारा-146. प्रतिपरीक्षा में विधि पूर्ण प्रश्न

जबकि किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा की जाती है, तब उसमें इससे पहले दिए गए प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे, जिनकी प्रवृत्ति :-

1. उसकी सत्यवादिता परखने की हो ।

2. यह पता चलाने की है कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है, अथवा

3. उसके शाल को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की है, चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसे प्रत्यक्षतः अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो, या उसे किसी सजा या जब्ती के लिए उच्छन (expose) करता हो या प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उच्छन करने की प्रवृत्ति रखता हो ।

व्याख्या- जब किसी साक्षी से प्रति परीक्षा की जाती है तो तब उससे ऐसे प्रश्नों के अतिरिक्त जो पहले निर्दिष्ट किए जा चुके हैं, ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे, जिनकी प्रवृत्ति -

1) उसकी सत्यवादिता परखने की है ।

2) यह पता चलाने की है कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है अथवा

3) उसकी शाख को (शील को) दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की है, चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो, या उसे किसी दण्ड (शास्ति) या समपहरण के लिए उच्छन करता हो सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उच्छन करने की प्रवृत्ति रखता हो ।

परन्तु- यदि अभियोजन बलात्कार या बलात्कार करने के प्रयास के लिए चलाया जा रहा हो, तो पीड़ित की प्रतिपरीक्षा में उसके सामान्य चरित्र के बारे में प्रश्न करने की आज्ञा नहीं दी जाएगी ।

परन्तु भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376क, 376कख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख या 376ड़ या इन्हें करने के प्रयास से दण्डनीय किसी अपराध के अभियोजन में जहां पीड़िता की सहमति प्रश्नगत हो तो पीड़िता की प्रतिपरीक्षा के दौरान उसकी सहमति या सहमति की कसौटी साबित करने के लिये उसके सामान्य अनैतिक चरित्र और किसी अन्य व्यक्ति से उसके पूर्व यौन सम्बन्धों बारे साक्ष्य लेने अथवा प्रश्न पूछे जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।